न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 277/2021

तारीख दायर : 3/12/2021

अनवान

कालूनाथ पिता नाथूनाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.

.... प्रार्थी

बनाम

01. पेमा पिता चुन्नीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
02. भुरालाल पिता चुन्नीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
03. बदना पिता चुन्नीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
04. प्यारा पिता जोधा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
05. उदा पिता भोलु जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 9/12/2021

प्रार्थना पत्र कालूनाथ पिता नाथूनाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. में खाता सं. 196 पर अंकित आराजी सं. 215/65 रकबा 0.5018 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान किशनपुरिया **में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।**

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. में खाता सं. 196 पर अंकित आराजी सं. 215/65 रकबा 0.5018 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि **100/–** रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलिया कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस **500/–** रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)